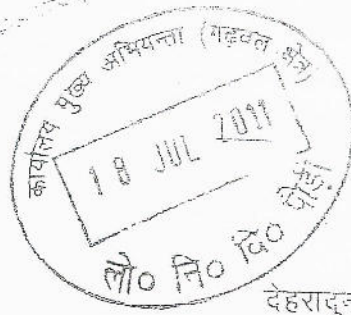


महिमा
अनु सचिव
उत्तराखण्ड शासन



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)

मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक. 06 जुलाई, 2011

विषय:- जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र-श्रीनगर में क्वीन्स-सुमाड़ी मोटर मार्ग से धरीगांव होते हुए अमधार तक मोटर मार्ग का निर्माण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, ग0स0, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी गढ़वाल द्वारा जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर में क्वीन्स-सुमाड़ी मोटर मार्ग से धरीगांव होते हुए अमधार तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु प्रथम चरण के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये प्रारम्भिक आगणन लम्बाई 4.00 किमी0 तथा लागत ₹ 50.40 लाख, पर टी0ए0सी0 वित्त द्वारा आधिक्यपूर्ण पाई गई धनराशि ₹ 50.40 लाख (₹ पचास लाख चालीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 में व्यय हेतु ₹ 0.25 लाख (₹ पच्चीस हजार मात्र) की अनुमति प्रदान किये जाने की, महामहिम श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहई स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(i)- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों का सम्प्रबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त उक्त सन्दर्भित शासनादेश सं0:- 1764/111(2)/10-17(सानान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही मोटर मार्ग के निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नाम से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्विजमेंट रूल्स-2006 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों तथा बजट मैनुअल के उल्लिखित प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

महिमा

छाया प्रति प्रेषित

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)

सहायक अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)

(iii)- मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं० 2047/XXV(2)/2011 दि० 05 जुलाई, 2011 में निम्न आदेशों का कार्य कराते समय या आगमन शासन करते समय के आई के अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(iv)- स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिकारियों अभियन्ता का होगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011-12 में लोक निर्माण विभाग के अनुभाग सं०-22-लेखावर्षिक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परियोजना-04 जिला तथा अन्य सड़कों-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- 103/XXV(2)/2011 दि० 05 जुलाई, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Mahesh

(महिमा)

अनु सचिव

संख्या:- (1)/111(2)/11-24(प्रौ०आ०)/2011 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिलाधिकारी जनपद पौड़ी।
4. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद देहरादून/पौड़ी।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ/राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
8. अधीक्षण अभियन्ता, 12 वीं वृत्त, लो०नि०वि०, पौड़ी।
9. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० श्रीनगर।
10. लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तराखण्ड शासन।
11. गार्ड बुक।

आज्ञा सं.

(महिमा)

अनु सचिव

सं० प्र० सं०:- 838/2011-24(प्रौ०आ०)-क्र०/11 दि० 12/7/11

पिछे जके निदेशों के अंतर्गत विभिन्न लिखित जो पत्र के सिद्धि।

- 01- मुख्य अभियन्ता गढ़वाल क्षेत्र, लो०नि०वि०, पौड़ी।
- 02- अधी० क्षेत्र, लो०नि०वि०, पौड़ी।
- 03- जिला प्र० वर्ग, जनपद मुख्य अभियन्ता, देहरादून।

छाया प्रति प्रामाणित

सहायक अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०

श्रीनगर (गढ़वाल)